न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. /2016 90 3U- PBR/16

श्री विनोद भार्गव को द्वारा आज दि 3-3-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. आभा पत्नी दीपक कटकवार,
2. दीपक बल्द गणेश प्रसाद कटकवार

दोनो निवासी ग्राम धारपुरा तहसील वनखेड़ी जिला होंशगाबाद (म.प्र.) हाल निवासी अशोक वार्ड पिपरिया एवं एफ.बी.एस के विश्वसिंहगढ़ रोड पूना महाराष्ट्र

———आवेदकगण

विरूद्ध

सीमांत कुमार बलद नारायण सिंह किरार निवासी ग्राम धारपुरा तहसील बनखेड़ी जिला होंशगाबाद (म.प्र.) ———अनावेदक

मानतीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र., ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 1852–1/2013 में पारित आदेश दिनांक 06/03/2014 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन

विनोद भार्गव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 9034—पीबीआर/16 [अम्मा आदि / [illegible]] जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03—03—2016	आवेदकगण की ओर से श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 6—3—2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक 1852—एक/2013 तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25—3—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6—3—2014 को आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य की गई है । आदेश का निम्नलिखित अंश प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं होने के बावजूद भी उल्लिखित किया गया है, जिससे आवेदकगण प्रभावित हुए हैं :— ***"वे तहसील न्यायालय के समक्ष साक्ष्य से रूढ़िगत रास्ता नहीं होना प्रमाणित कर सकते हैं ।"*** अतः न्यायिक दृष्टि से आदेश का उपरोक्त अंश विलोपित किया जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है । यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी । अतः इसे मूल आदेश के साथ संलग्न किया जाये । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

(5)

समक्ष- राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ,ग्वालियर.

R1852-I/13

1/आभा पत्नि दीपक कटकवार,

2/दीपक वल्द गणेश प्रसाद कटकवार,

दोनों निवासीग्राम धारपुरा तहसील बनखेडी

हालनिवास करण एफ बी एस के शिवसिंहगढ रोड पूना

महाराष्ट्र ------- याचिकाकर्तागण.

विरुद्ध

सीमन्त कुमार वल्द नारायण सिंह किरार,

निवासी ग्राम धारपुरा तहसील बनखेडी

जिला होशंगाबाद. ------- उत्तरवादी.

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. संहिता.

आवेदकगण यह याचिका माननीय नायब तहसीलदार बनखेडी के रा.प्र.क्र. 13-13/12-13 ग्राम धारपुरा में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25.3.13 के विरुद्ध जिसके तहत आवेदकगण की भूमि में से नया रास्ता प्रकरण के लंबित रहने के दौरान दिये जाने का आदेश दिया है के विरुद्ध क्षुब्ध होकर निम्न तथ्यों व आधारों पर पेश है:-

(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1852 -I / 2013 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–3–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 25–3–2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर साक्षियों के कथन अंकित कर विस्तृत विवेचना करते हुए प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर होना प्रमाणित पाते हुए रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार द्वारा रूढ़िगत रास्ता प्रमाणित नहीं किया गया है और आवेदकगण के खेत में से रास्ता दिया गया है । क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में विस्तृत विवेचना कर रास्ता प्रमाणित पाते हुए रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे तहसील न्यायालय के समक्ष साक्ष्य से रूढ़िगत रास्ता नहीं होना प्रमाणित कर सकते हैं । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।, (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	6.3.14